भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 480
दिनांक 03.04.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

जल जीवन मिशन के लिए बजटीय आवंटन

***480. डॉ. नामदेव किरसानः**
श्री बैन्नी बेहननः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) जल जीवन मिशन (जेजेएम) के अंतर्गत वर्ष 2024-25 की तुलना में वर्ष 2025-26 के लिए बजटीय आवंटन में कमी के क्या कारण हैं;
(ख) क्या उक्त मिशन का संशोधित अनुमान वर्ष 2024-25 में बजट अनुमान से 59.31 प्रतिशत कम था और यदि हां, तो इसके कारणों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या बजटीय आवंटन में कमी से उक्त मिशन के कार्यान्वयन पर प्रभाव पड़ा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) सरकार द्वारा इस बात के दृष्टिगत कि वर्ष 2024-25 में इस मिशन का व्यय 2020-21 के बाद से सबसे कम है, इस मिशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त वित्तपोषण और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;
(ङ) उक्त मिशन की समय-सीमा को वर्ष 2028 तक बढ़ाने के क्या कारण हैं; और
(च) सरकार द्वारा उक्त मिशन के लक्ष्य को समय पर पूरा करने के लिए क्या कार्रवाई शुरू की गई है/शुरू किए जाने की संभावना है?

उत्तर

जल शक्ति मंत्री
(श्री सी. आर. पाटिल)

(क) से (च): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 03.04.2025 को उत्तर हेतु नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 480 के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (ङ): भारत सरकार अगस्त 2019 से राज्यों की भागीदारी से जल जीवन मिशन (जेजेएम)-हर घर जल को कार्यशील नल जल कनेक्शन के माध्यम से देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार हेतु पीने योग्य जल का प्रावधान करने के लिए कार्यान्वित कर रही है।

मिशन की शुरुआत में, केवल 3.23 करोड़ (16.7%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। अब तक, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित किए गए अनुसार, 31.03.2025 तक, जल जीवन मिशन (जेजेएम) - हर घर जल के तहत लगभग 12.34 करोड़ और ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 31.03.2025 तक, देश के 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 15.57 करोड़ (80.38%) से अधिक परिवारों के पास उनके घरों में नल जल की आपूर्ति होने की सूचना है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

अगस्त 2019 में, मंत्रिमंडल ने 2,08,652 करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय के साथ 2019-20 से 2023-24 तक जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन को मंजूरी दी थी। इस विभाग ने 2023-24 तक 1,85,958 करोड़ रुपये का उपयोग किया था, जिससे 2024-25 में उपयोग के लिए शेष 22,694 करोड़ रुपये बचे थे। 2024-25 के लिए संशोधित अनुमान चरण में व्यय की उच्चतम सीमा हेतु केवल 22,694 करोड़ रुपये के शेष परिव्यय पर विचार किया गया है। आवंटित निधि के मुकाबले, लगभग पूरी निधि का उपयोग किया गया है। 2025-26 में मिशन के सुचारू और त्वरित कार्यान्वयन के लिए, बजट अनुमान 2025-26 के रूप में 67,000 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है।

इसके अलावा, दीर्घकालिक स्थिरता और नागरिक केंद्रित जल सेवा प्रदान करने के लिए ग्रामीण पाइपगत जलापूर्ति योजनाओं के बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता तथा संचालन और रखरखाव पर ध्यान देने के साथ-साथ मिशन के निरंतर कार्यान्वयन के माध्यम से 100 प्रतिशत कवरेज प्राप्त करने हेतु, माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण 2025-26 के दौरान वर्धित कुल परिव्यय के साथ जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ाने की घोषणा की है।

(च): पूरे देश में जल जीवन मिशन की योजना बनाने और उसे तेजी से कार्यान्वित करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं, जिनमें *अन्य बातों के साथ-साथ,* राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की कार्यपरिपूर्णता योजनाओं और वार्षिक कार्य योजनाओं (एएपी) पर संयुक्त विचार-विमर्श करना

और उनको अंतिम रूप देना, कार्यान्वयन की नियमित समीक्षा करना, क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण, ज्ञान साझा करने के लिए कार्यशालाएं/सम्मेलन/वेबिनार, तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए बहु-विषयक दल द्वारा क्षेत्र दौरे, आदि शामिल हैं। जेजेएम के कार्यान्वयन के लिए विस्तृत कार्यसंबधी दिशानिर्देश; ग्रामीण परिवारों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने हेतु ग्राम पंचायतों और वीडब्ल्यूएससी के लिए मार्गदर्शिका तथा जल जीवन मिशन की आयोजना और कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों, आश्रमशालाओं तथा स्कूलों में पाइपगत जल की आपूर्ति प्रदान करने हेतु एक विशेष अभियान के संबंध में दिशानिर्देश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किए गए हैं। ऑनलाइन निगरानी के लिए, जेजेएम-एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) और जेजेएम-डैशबोर्ड स्थापित किए गए हैं। सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के माध्यम से पारदर्शी ऑनलाइन वित्तीय प्रबंधन के लिए भी प्रावधान किया गया है।

इसके अलावा, राज्यों के साथ किए गए समझौता ज्ञापनों में ग्रामीण जल आपूर्ति क्षेत्र को, *अन्य बातों के साथ-साथ, "स्रोत स्थिरता"* सहित *"विभाग आधारित दृष्टिकोण"* से *"सेवा सुपुर्दगी दृष्टिकोण"* में परिवर्तित करने के लिए संरचनात्मक सुधारों के लक्ष्यों के साथ-साथ नागरिक केंद्रित सेवा प्रदान करने के माध्यम से ग्रामीण पाइपगत जलापूर्ति योजनाओं के टिकाऊ और दीर्घकालिक संचालन एवं रखरखाव की भी परिकल्पना की गई है।

*****

अनुबंध

दिनांक 03.04.2025 को उत्तर हेतु नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 480 के उत्तर में संदर्भित विवरण में उल्लिखित अनुबंध

जेजेएम: 31.03.2025 तक ग्रामीण परिवारों हेतु नल जल कनेक्शनों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थिति

(संख्या लाख में)

क्र.सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	कुल ग्रामीण परिवार	15.8.2019 तक नल जल की आपूर्ति वाले ग्रामीण परिवार		15.8.2019 से नल जल कनेक्शन प्राप्त करने वाले ग्रामीण परिवार		आज की तारीख में नल जल कनेक्शन वाले ग्रामीण परिवार	
			संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.62	0.29	46.02	0.33	53.98	0.62	100.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	2.29	0.23	9.97	2.06	90.03	2.29	100.00
3.	दादरा एवं नगर हवेली और दमण व दीव	0.85	0.00	0.00	0.85	100.00	0.85	100.00
4.	गोवा	2.64	1.99	75.44	0.65	24.56	2.64	100.00
5.	गुजरात	91.18	65.16	71.46	26.02	28.54	91.18	100.00
6.	हरियाणा	30.41	17.66	58.08	12.75	41.92	30.41	100.00
7.	हिमाचल प्रदेश	17.09	7.63	44.64	9.46	55.36	17.09	100.00
8.	मिजोरम	1.33	0.09	6.91	1.24	93.09	1.33	100.00
9.	पुदुचेरी	1.15	0.94	81.33	0.21	18.67	1.15	100.00
10.	पंजाब	34.27	16.79	48.98	17.48	51.02	34.27	100.00
11.	तेलंगाना	53.98	15.68	29.05	38.30	70.95	53.98	100.00
12.	उत्तराखंड	14.50	1.30	8.99	12.83	88.46	14.13	97.45
13.	लद्दाख	0.41	0.01	3.48	0.38	93.30	0.39	96.77
14.	बिहार	167.55	3.16	1.89	157.19	93.82	160.36	95.71
15.	नागालैण्ड	3.64	0.14	3.82	3.24	88.95	3.37	92.76
16.	लक्षदवीप	0.13		0.00	0.12	91.41	0.12	91.41
17.	सिक्किम	1.33	0.70	52.96	0.51	38.32	1.21	91.28
18.	महाराष्ट्र	146.79	48.44	33.00	82.76	56.38	131.20	89.38
19.	उत्तर प्रदेश	267.22	5.16	1.93	232.72	87.09	237.89	89.03
20.	तमिलनाडु	125.27	21.76	17.37	89.29	71.27	111.05	88.64
21.	त्रिपुरा	7.51	0.25	3.26	6.18	82.30	6.42	85.56
22.	कर्नाटक	101.31	24.51	24.20	60.73	59.95	85.25	84.15
23.	मेघालय	6.51	0.05	0.70	5.30	81.41	5.34	82.11
24.	असम	72.25	1.11	1.54	57.77	79.95	58.88	81.49
25.	जम्मू एवं कश्मीर	19.21	5.75	29.95	9.85	51.27	15.60	81.22
26.	छत्तीसगढ़	50.01	3.20	6.39	37.20	74.39	40.40	80.78
27.	मणिपुर	4.52	0.26	5.74	3.34	73.85	3.59	79.59
28.	ओडिशा	88.69	3.11	3.50	64.85	73.11	67.96	76.62
29.	आंध्र प्रदेश	95.53	30.74	32.18	39.78	41.64	70.52	73.82
30.	मध्य प्रदेश	111.79	13.53	12.10	63.38	56.69	76.91	68.80
31.	राजस्थान	107.74	11.74	10.90	48.72	45.22	60.46	56.12
32.	पश्चिम बंगाल	175.56	2.15	1.22	94.76	53.97	96.91	55.20
33.	झारखंड	62.55	3.45	5.52	30.86	49.33	34.31	54.85
34.	केरल	70.77	16.64	23.51	21.91	30.96	38.56	54.48
	कुल	**19,36.61**	**3,23.63**	**16.71**	**12,33.02**	**63.67**	**15,56.65**	**80.38**

स्रोत: जेजेएम-आईएमआईएस एचएच: परिवार